[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 44/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 14 तारीख नवंबर ,2017

सा.का.नि. (अ).- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 667(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(1) सूची में,-

(i) क्रम संख्या 8 और 9 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा;-

“8	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
9	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी सामान, (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध । में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर

		किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(ii) क्रम संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा ;

(iii) क्रम संख्या 21 और 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा;-

"21	0304, 0306, 0307, 0308	सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
22	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	सभी सामान, (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(iv) क्रम संख्या 23, 24 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;"

(v) क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा;-

"30क	0504	सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
30ख	0504	सभी सामान, (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर

		किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध । में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(vi) क्रम सख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा;-

"43क	0710	वनस्पतियां (बिना पकाई गई या भापन या पानी में उबाल कर पकाई गई), हिमशीतित उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध । में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(vii) क्रम संख्या 46 के स्तंभ (3) में, शब्दों "ताजा, द्रुतशितित" के स्थान पर शब्दों "ताजा, या द्रुतशितित, शुष्क" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम सख्या 46 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा;-

"46क	0714	मेनिओक, अरारूट, संलेप, जेरुसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़ें और कंद, जिनमें स्टार्च और इनूलिन की मात्रा अधिक है, हिमशीतित, चाहे स्लाइस किए गए हैं या नहीं या गुटिका रूप में हैं उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध । में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के

		ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]
46ख	08	शुष्कित मखाना, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(ix) क्रम संख्या 77 के स्तंभ (3) में, शब्दों "आलू का आटा" के स्थान पर शब्दों "आलू का आटा, अवचूर्ण, चूर्ण पत्र या दलित" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम सख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा;-

"78क	1106 10 10	ग्वार अवचूर्ण";

(xi) क्रम सख्या 87 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा;-

"87क	1210 10 00	हाप कोन, जो दलित, चूर्णित या गुटिका के रूप में नहीं है";

(xii) क्रम सख्या 93 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा;-

"93क	1404 90 60	नारियल कवच, अकर्मित";

(xiii) क्रम संख्या 94 के स्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़ (गुड़), पालमिरा गुड़ सम्मिलित है; खांडसारी चीनी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 103 के स्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि “नमक (टेबल नमक और विकृत नमक) और शुद्ध सोडियम क्लोराइड, चाहे जलीय घोल या नहीं, या एंटी-केक या मुफ्त फ्लोइंग एजेंट युक्त; समुद्र जल” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम सख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतस्थापित की जाएगी:, यथा;-

“103क	26	यूरेनियम ओर कॉन्सेंट्रेट”;

(xvi) क्रम सख्या 136 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतस्थापित की जाएगी:, यथा;-

“136क	7113	लाख या शलक लाख की चूड़ियाँ”;

(2) स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(ख) “पंजीकृत ब्रांड नाम" वाक्यांश का अर्थ है, -

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1999 के तहत 15 मई 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957(1957 का 14) के तहत 15 मई 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड”

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत होगी ।

[फा सं.354/320/2017-(टीआरयू)]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर),दिनांक 28 जून, 2017,को सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 28 जून,2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i)में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1289(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i)में प्रकाशित किया गयाथा, के द्वारा संशोधन किया गया है।